


197



## न्यायालय राजस्व बोर्ड ग्वालियर

PBR/निगरानी/मंदसौर/भुरा/2018/2383 प्र0कं0-

1. राजेन्द्र कुमार पिता सौभागमलजी करनपुरिया जैन व्यवसाय- व्यापार  
निवासी-धमोतर तहसील प्रतापगढ जिला चित्तोडगढ (राज.)  
हा.मु. 8 प्रिस यशवंत रोड इन्दौर (म.प्र.) — प्रार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार उर्फ ऋषभ कुमार पिता भंवरलाल महाजन  
निवासी कालाखेत मंदसौर तह व जिला मंदसौर
2. सुशील पिता राजमलजी जैन  
निवासी गुलमोहर कालोनी के पास नाहर सैयद रोड मंदसौर
3. दिपेश पिता चमनसिंहजी नेन जाति जाट  
निवासी बाहदरी फार्म सीतामउ फाटक मन्दसौर
4. प्रतिक पिता अनिलकुमार भण्डारी  
निवासी कालाखेत मंदसौर  
हाल मुकाम बासवाडा जेल राजस्थान — विपक्षी

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भुराजस्व संहिता विरुद्ध  
आदेश दिनांक-19/02/18 प्रकरण क्रमांक-82  
अ6/16-17 न्यायालय तहसीलदार तहसील दलौदा  
जिला मन्दसौर।

माननीय महोदय,


निगरानी प्रार्थी अवधी में अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्नलिखित  
आधारो पर निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1. यह कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं प्रकरण के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी का नामान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं करने में भूल की है।
3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय का यह मत की स्वत्व का प्रश्न उपस्थित होने से प्रार्थी का नामान्तरण का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्यायोचित नहीं है त्रुटिपूर्ण है नामान्तरण के प्रकरण में न्यायालय को स्वत्व के प्रश्न पर निर्णय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2018/2383

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
S-12-10	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	